न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 167 / 2022 दायर दिनांकः– 04 / 03 / 2022

जीसीएमएस नं0:–2022 / 656 निर्णय दिनांकः– 18 / 11 / 2025

वउनवान

1. सम्पत पुत्र श्री नवलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी सेडूकानगला तहसील कठूमर जिला अलवर।

....वादीगण

बनाम

1. पूरन पुत्र बृजलाल जाति बैरागी निवासी सेडूका नगला
2. संतोष पुत्र पूरन जाति बैरागी निवासी सेडूकानगला

..... प्रतिवादीगण

3. बालचन्द पुत्र नवलाराम जाति ब्राहम्ण निवासी सेडूकानगला तहसील कठूमर।

---- तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–

उपस्थितिः–श्री राधावल्लभ शर्मा – अधिवक्ता वादी

–:निर्णयः–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 0.90 हैक्ट0 ग्रा॰। सेडूकानगला तहसील कठूमर में स्थित है। यह है कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त की खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आराजी है। जिस पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नही है। असल प्रतिवादीगण सरजोर, बानेवन्द व मुठर्मद किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी में मदाखलन मजाहमत पैदा करते रहते है। आराजी खसरा नम्बर 170 के चपेटवां तरफ उत्तर को प्रतिवादी का खेत खसरा नम्बर 168 खातेदारी का खेत है जिस आराजी में प्रतिवादीगण व वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 170 के चपेटवां पुख्ता मकानात का निर्माण कर रहे है जिन्होने वादी को दिनांक 03.03.2022 को एलानियां धमकी दी है कि हम हमारे निर्माणधीन मकान के दरवाजा रोशनदान मोरी जंगला आपके खेत खसरा नम्बर 170 की तरफ कायम कर तुम्हें शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण तबाह एंव बर्बाद हो जावेगा। इस वजह से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये। उन्होने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया। वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 6 रूल 17 जा0दी0 पेश की गई कि गई जिस पर बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थना पत्र ऑर्ड 6 रूल 17 जा0 दी0 साबित ना होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से ललित मोहन एड0 उपस्थित आये जिन्होन वकातनामा मय जवाब दावा पेश किया गया पत्रावली पर तनकीयात कायम की गई। वादी स्वयं द्वारा पीब्लू–1 के वयान लेखवद्व किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 19.12.2024 को कोई उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 प्रदर्श–1 नक्शा ट्रैस प्रदर्श–2 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया व दावा को डिकी कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रदर्श–1 जमाबन्दी हाल के अवलोकन से यह साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 170 रकवा 0.90 हैक्ट0 वाके ग्राम सेडूकानगला तहसील कठूमर में जो आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड आराजी है। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड एवं वादी के शपथ पत्र के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन करने पर यह पाया गया है, कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से किसी प्रकार का सरोकार व संबंध नही है ना ही प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का अधिकारी पाये जाते है। विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में बाधा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता हे।

—:आदेश:—

अतः दावा वादीगण हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने आंशिक रूप स्वीकार कर दावा डिकी किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 0.90 हैक्ट0 वाके ग्राम सेडूकानगला तह0 कठूमर में वादी को किसी प्रकार की काश्त संबधी कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें व रूकाबट व मजाहमत पैदा ना करे जबरन वेदखल ना करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)